संख्या-27/2015/क0नि0-4-870/11-15-300(11)/2009

प्रेषक,

धीरेन्द्र कुमार वर्मा,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन ।

सेवा में,

आयुक्त,
वाणिज्य कर,
उत्तर प्रदेश,लखनऊ ।

कर एवं निबन्धन अनुभाग-4 लखनऊ :: दिनांक 02 जून, 2015

विषय:- वर्ष 2015-16 में आवश्यकता के अनुरूप पूर्ति हेतु विभिन्न फार्मोस्टैम्प का मुद्रण निजी सिक्योरिटी प्रेस से कराये जाने की स्वीकृति प्रदान करने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-फार्म अनु-(555)पंचम वाल्यूम-2015-16/52/वाणिज्य कर, दिनांक 20 मई, 2015 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासनादेश संख्या : 23/2015/क0नि0-4-657/11-2015-300(24)/2014, दिनांक 08-04-2015 के द्वारा वित्तीय वर्ष 2015-16 के आयोजनेत्तर बजट में अनुदान संख्या-89 के अन्तर्गत मानक मद-11-लेखन सामग्री और फार्मो की छपाई मे प्राविधानित धनराशि रूपये 2.60 करोड़ (रू0 दो करोड़ साठ लाख मात्र) आयुक्त, वाणिज्य कर के निवर्तन पर अवमुक्त की गयी है। उक्त अवमुक्त धनराशि में से वाणिज्य कर विभाग के उपयोग में आने वाले विभिन्न फार्मों एवं स्टैम्पों को नियमानुसार न्यूनतम कोटेशन/टेण्डर के आधार पर निजी सिक्योरिटी प्रेस से सुरक्षा की दृष्टि से विशेष परिस्थितियों में मुद्रित कराये जाने हेतु धनराशि रूपये 1,03,20,000.00 (रू0 एक करोड़ तीन लाख बीस हजार मात्र) व्यय किये जाने की अनुमति श्री राज्यपाल, उ0प्र0 इस शर्त के अधीन प्रदान करते हैं कि न्यूनतम आवश्यकता के अनुसार फार्मो एवं स्टैम्पों की संख्या का निर्धारण तथा इनके मुद्रण हेतु नियमानुसार निविदा आमंत्रित करके दर आदि का निर्धारण विभाग द्वारा स्वयं किया जायेगा।

2- इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2015-16 के अनुदान संख्या-89 के राजस्व लेखा शीर्ष "2040-बिक्री, व्यापार आदि पर कर-800-अन्य व्यय-आयोजनेत्तर-

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

03-वाणिज्य कर आयुक्त का अधिष्ठान-11-लेखन सामग्री और फार्मो की छपाई" के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-ई-9-204/दस-2015, दिनांक 01 जून, 2015 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किए जा रहे है।

भवदीय,
धीरेन्द्र कुमार वर्मा
अनु सचिव।

संख्या-27/2015/क0नि0-4-870(1)/11-2015 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार,(लेखा एवं हकदारी) प्रथमद्वितीय उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद ।
2- महालेखाकार, (लेखा एवं परीक्षा) प्रथमद्वितीय उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद ।
3- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन लखनऊ ।
4- वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-9
5- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-12
6- गार्ड फाइलसमीक्षा अधिकारी (बजट)।

आज्ञा से,
धीरेन्द्र कुमार वर्मा
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।